



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



An ISO 9001:2008 Certified Agency

आदेश सं०: SHSB/GA/HR/2094/2016/.....

पटना, दिनांक:...../01/2019

-:आदेश:-

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के आदेश ज्ञापांक 5708 दिनांक 23.11.2018 की कंडिका-4 के अनुसार विशेषज्ञ चिकित्सक-**Obstetricians & Gynaecologist** के प्रकाशित UR category के चयनसूची के क्रमांक-5 पर अंकित DR JYOTI SULTANIA MASKARA, क्रमांक-14 पर अंकित DR MEGHA RAI, क्रमांक-59 पर अंकित ANURADHA KHEMKA SINHA एवं BC category के चयनसूची के क्रमांक-6 पर अंकित RASHMI KUMARI के नाम के सम्मुख Remarks कॉलम में अंकित कमियों के निराकरण के पश्चात् ही पदस्थापन सम्बन्धी आदेश निर्गत किया जाना है। पत्रांक 5815 दिनांक 29.11.2018 द्वारा उक्त कमियों के निराकरण हेतु अवसर देते हुए सूचित किया गया। तदालोक में चयनित अधोलिखित तीन (03) अभ्यर्थियों के कमियों का निराकरण हो चुका है। अतः उनके योगदान करने की तिथि से स्तम्भ-8 में अंकित मानदेय पर नियोजित करते हुए उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-7 में अंकित अस्पताल में निम्नानुसार पदस्थापन किया जाता है:-

क्र. सं.	रौल नं०	अभ्यर्थी का नाम	जन्मतिथि	पिता/पति का नाम	कोटि	पदस्थापन अस्पताल	मानदेय/ प्रतिमाह (रु०में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	18061043	DR. JYOTI SULTANIA MASKARA, MS	25 Apr 1971	Muralidhar Choudhary	UR	DH, Begusarai	1,00,000/-
2.	18061007	DR. MEGHA RAI, MD	30 Apr 1983	Rasbiharj Dubey	UR	DH, Buxar	1,00,000/-
3.	18061227	DR. ANURADHA KHEMKA, MD	02 Feb 1990	Sunil Khemka	UR	SDH, Narkatiyaganj, West Champaran	1,20,000/-

2. उपर्युक्त सभी नवचयनित अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि:-

- दिनांक 15.02.2019 तक अपने नाम के सामने स्तंभ-7 में अंकित पदस्थापन अस्पताल में अपना योगदान देना सुनिश्चित करें। उक्त तिथि तक योगदान नहीं देने की स्थिति में अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता समाप्त की जा सकती है।
- योगदानोपरान्त एकरारनामा करने के लिए, 1,000/- रुपये का Non Judicial स्टाम्प पेपर, NOC (यदि लागू हो, तो) एवं स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र (जो सिविल सर्जन/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के स्तर से निर्गत हो) के साथ, दिनांक 20.02.2019 तक, प्रभारी, मानव संसाधन, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे, ताकि राज्य स्तर पर राज्य स्वास्थ्य समिति के साथ उनका एकरारनामा सम्पन्न हो सके।

3. आदेश ज्ञापांक 5708 दिनांक 23.11.2018 की शेष शर्तें यथावत रहेगी।

ह०/-

(लोकेश कुमार सिंह)

ज्ञापांक: 7532

पटना, दिनांक: 31/01/2019

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ।





राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



An ISO 9001:2008 Certified Agency

प्रतिलिपि: अपर कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ।

प्रतिलिपि: संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार/सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति/उपाधीक्षक, सदर/अनुमंडलीय अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: प्रशासी पदाधिकारी/उप सचिव-सह-प्रभारी, मानव संसाधन/अपर निदेशक, वित्त/वित्त प्रबंधक/राज्य लेखा प्रबंधक/राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी/राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: सिस्टम एनालिस्ट-सह-डाटा ऑफिसर, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं समिति के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: सभी संबंधित नवचयनित अभ्यर्थियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। यह आदेश राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के अधिकृत वेबसाईट www.statehealthsocietybihar.org पर भी देखा जा सकता है एवं डाउनलोड कर व्यवहार में लाया जा सकता है।

कार्यपालक निदेशक-सह-
सचिव, स्वास्थ्य विभाग

31/1/19

